मु.नं.–14 / 2021 GCMS ID-2021/24 ता.रजु–04.02.2021

(2)

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कल्याण प्रसाद शर्मा, निवासी तांबे की टौरी, शुक्ल खिड़किया के पास, करौली मो.नं. 8905211717 – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–02.03.2021

1. अपीलार्थी को दिनांक 17.02.2021, 24.02.2021, 02.03.2021 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर आवेदन दिनांक 21.12.2020 प्रेषित कर करौली जिले में 25.03.2020 से आवेदन दिनांक तक में कोविड–19 के नाम से जागरूकता, जन सुरक्षा आदि के लिये राज्य व केन्द्र सरकारों से आये विविध मद / बजट राशि की सूचनाऐं, उनके मूल पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ तथा उक्त वर्णित गतिविधियों में हुए खर्चों का तुलन स्टेटमेंट–अद्यतन की प्रतियां चाही गई थीं। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2021 / 66 दिनांक 12.02.2021 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 10 पृष्ठों में तैयार कर 2 / –रुपये प्रति पृष्ठ की दर से 20 / – रुपये जमा करवाये जाने हेतु अपीलार्थी को उनके पत्रांक सू.अ.अ. / 2021 / 39 दिनांक 22.01.2021 को लिखा गया था परंतु अपीलार्थी द्वारा आदिनांक उक्त शुल्क जमा नहीं करवाया है। अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अंत में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवाते हुए 10 पृष्ठीय सूचना के लिए 20 / –रुपये का शुल्क जमा करवाये जाने हेतु लिखा जा चुका है जिसे अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं करवाया गया है। बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी ना तो इस न्यायालय में उपस्थित हुआ है और ना ही अन्यथा कोई प्रतिकार पेश किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली